Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

# अज अदालत – उपखण्ड अधिकारी लूनकरणसर

## कालूराम बनाम राजेन्द्र यादव वगै

किस्म मुकदमा :– 212 आर.टी.एक्ट

नं. मुकदमा 325 /2023

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 22.12.2023 | आज यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी जरिये अधिवक्ता श्री मेजरसिंह गिल द्वारा पेश किया गया। रिपोर्ट सरिश्ते की होकर प्रस्तुत होने पर अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावें। अप्रार्थीगण को रजि. एडी. जरिये नोटिस तलब किया जावे। इसके पश्चात् वकील प्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना–पत्र पर इकतरफा बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने बहस द्वारा अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु निवेदन किया। पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। प्रस्तुत रिकार्ड व प्रार्थीगण के शपथ–पत्र पर विश्वास करते हुए प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता हैं। अतः प्रकरण में आरजीतौर पर अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थीगण आगामी तारीख पेशी तक इस आशय की जारी की जाती है कि अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थीगण मौजा रोही सहजरासर के खाता संख्या 584 के खसरा नम्बर 636 की 5.1300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 66 की 5.7900 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 870 की 13.4500 हैक्टेयर कुल तादादी 24.3700 हैक्टेयर बारानी भूमि मे से प्रतिवादीगण संख्या 1 के नाम से रिकॉर्ड मे 1/4 हिस्सा दर्ज है उक्त भूमि मे प्रार्थी को बेदखल ना करे, ना ही कब्जेकाश्त मे दखलान्दाजी करे तथा मौका एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखे। प्रार्थी सीपीसी आदेश 39 नियम 3 की पालना करें। यह आदेश भारतमाला प्रोजेक्ट से सम्बन्धित भूमि, सरकारी रास्ता एवं रोडा एक्ट से प्रभावी भूमि के सम्बन्ध में प्रभावी नहीं होंगे। इसमें यदि अप्रार्थीगण को कोई उज्र या ऐतराज हो तो नियत पेशी को असालतन या वकालतन हाजिर अदालत होकर पेश करें। तहरीर अलग से जारी होकर पत्रावली आयन्दा वास्ते तलबी दिनांक 05.02.2024 को पेश हो। [signature] | जारी प. 12/01/24 |
| 24/01/24 | पत्रावली आज प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 ड्राप करवाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश करने पर पेश हुई। प्रार्थी की तर्फ से अधिवक्ता मेजरसिंह गिल द्वारा की गई। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र वास्ते आगे नहीं चलाने हेतु निवेदन किया गया। न्याय हित में प्रार्थना पत्र बाबत ड्राप स्वीकार किया जाता है। पत्रावली इसी स्टेज पर एकत्रित कि जाती है। पत्रावली निर्णित में शुमार होकर दाखल जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी लूणकरणसर | कालूराम |